बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– **खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान / चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

विक्रेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2019–20 में धान / चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम 15 नवम्बर, 2019 से प्रारंभ है । राज्य के पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति किये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश तैयार किया गया है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है ।

अतः खरीफ विपणन मौसम 2019–20 हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश में दिये गये प्रावधानों के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अनुलग्नक–यथोक्त ।

विश्वासभाजन
13/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि–सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि–सभी आरक्षी अधिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना / निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–03 / 2018 5321 खाद्य, पटना / दिनांक– 14/11/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव तथा माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11/19.
सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार अनुलग्नक

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संचिका संख्या–प्र10/ख0वि0अधि0– /2019

खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।

राज्य में धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के अंतर्गत सम्पन्न की जा रही है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे0टन निर्धारित किया गया है। समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य माना जाय तथा पूर्व वर्ष की भाँति खरीफ विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत भी अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादन का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाय। राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर केवल तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर जमा करेंगें। पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति धान का मिलिंग, बिहार राज्य खाद्य निगम (नोडल एजेन्सी) में ऑनलाईन पंजीकृत मिल एवं जिला टास्क फोर्स से अनुमोदित एवं सम्बद्ध मिल के साथ एकरारनामित मिल (गैर प्रमादी) के माध्यम से कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता/मानक के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा कराया जायेगा। जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान का मिलिंग पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर मिलिंग का कार्य कराया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने के पश्चात पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जायेगी। उक्त प्राप्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया **Online Procurement System** आधारित, यथा धान क्रय, किसानों का भुगतान, पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण (वाहन सहित) मिलर द्वारा **CMR** पैक्स को उपलब्ध कराया जाना (वाहन सहित) पैक्स द्वारा **CMR** गोदाम पर **CMR** जमा किया जाना, **CMR** गोदाम से **TPDS** गोदाम तक **CMR** का प्रेषण, करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया **Online Procurement System** आधारित हो जाने पर पैक्स/व्यापार मंडल से किसान को भुगतान एवं निगम द्वारा प्राप्त सी0एम0आर0 के विरुद्ध भ्रगतान करने में कम समय लगेगा। चूँकि अधिप्राप्ति का सम्पूर्ण कार्य **Online** है अतएव **NPP Portal** पर भी **Real Time Upload** होगा।

सभी प्रकार का भुगतान **PFMS** के माध्यम से किया जायेगा। जिला प्रबंधक, पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा **PFMS** माध्यम से किसानों को भुगतान एवं **NPP Portal** की विवरणी से सम्पुष्टि के पश्चात हीं भुगतान की कार्रवाई करेंगें।

खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एवं खेती करने वाले किसानों से धान अधिप्राप्ति एवं पैक्सों और व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सी0एम0आर0 जमा करने की अवधि निम्न प्रकार होगी :–

1	साधारण धान	1815/– रू0 प्रति क्वींटल
2	धान (ग्रेड–'ए'	1835/– रू0 प्रति क्वींटल
3	धान अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांकः–15.11.2019 से 31.03.2020 तक
4	सी0एम0आर0प्राप्ति की अवधि *	दिनांक 15.06.2020 तक

*पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा 15.06.2020 तक अधिप्राप्ति धान के विरुद्ध सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु विशेष परस्थिति में सी0एम0आर0 प्राप्ति की अवधि 31.07.2020 तक बढ़ाया जा सकेगा।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर के माध्यम से तैयार कराकर तथा उसकी गुणवता की जाँचोपरान्त प्राप्त कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल ऐजेन्सी होगा।
- किसानों से धान क्रय की कार्रवाई पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जाना है।
- गत वर्ष की भांति पैक्स/व्यापार मंडल अधिक प्रभावी रूप से धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) मिल, जो जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित हो, से ही क्रय धान का शत प्रतिशत मिलिंग कराकर केवल सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र में जमा करेगी।
- पैक्स/ व्यापार मंडल द्वारा चयनित एवं एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारन्टी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान मिलों को उपलब्ध कराया जायगा। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जायगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे एवं पूववर्ती समय में आयी समस्या उत्पन्न न हो।
- जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान का मिलिंग पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर मिलिंग का कार्य कराया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने के पश्चात पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जायेगी।
- जो किसान अपनी जमीन पर खेती नही करते है, वैसे किसानों के ऑन–लाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फाटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त की जाय एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन–लाईन पंजीकरण करा सकते है। ऐसे किसानों का आवेदन का सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर /पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापन एवं ऑन–लाईन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी न हो, इसकी व्यवस्था सहकारिता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

- किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 200 (दो सौ) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 75 क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति की जायेगी।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जायेगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसका स्क्रीनिंग कराकर वेबसाईट पर अपलोड होगा। छुटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रो/प्रखंड के माध्यम से भी किया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित एवं सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कर **Authenticate** करेंगें। किसानों का निबंधन, सत्यापन की पूर्ण जबावदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।
- राज्य में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगें। तकनीकी अथवा वैधाानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगीं ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।
- पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंजीकृत किसानों को पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा **PFMS** के माध्यम से क्रय के बाद तत्काल (48 घन्टों के अन्दर) भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडभाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलरों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम सी0एम0आर0 छोड़कर) धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, **Acceptance Cum Analysis Report** एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जाँचोपरान्त **PFMS** के माध्यम से अधिकतम 3 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- **खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर समतुल्य सी0एम0आर0 जमा नही किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल/राईस मिल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध कानूनी एवं आवश्यक कार्रवाई यथा Certificate Case बगैरह की जायेगी।**
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेन्सी के रूप में करती है। धान अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।
- ***पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा वायदा आधारित धान का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा।*** साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित सी0एम0आर0 की मात्रा प्रतिवेदित नही की जायेगी। पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ सी0एम0आर0 गोदामों का भी भौतिक सत्यापन सुनिश्चित की जायेगी एवं प्रतिवेदित धान की मात्रा के आलोक में समतुल्य सी0एम0आर0 की शत–प्रतिशत मात्रा मिलिंग कराकर निर्धारित समय–सीमा के पूर्व सी0एम0आर0 गोदामों में जमा करते हुए तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को

निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर यह जबावदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।

- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिलों द्वारा धान अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा। साथ ही उक्त दैनिक प्रतिवेदन की एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- **नोडल एजेन्सी के रूप में बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफट्वेयर के माध्यम से धान क्रय, भुगतान एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी। इस प्रकार अधिप्राप्ति की सारी प्रकिया e-procurement software द्वारा सम्पादित किया जायगा। सॉफ्टवेयर निर्माण का कार्य सहकारिता विभाग के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में हो रहा है। अतएव ससमय सॉफ्टवेयर निर्माण एवं Maintainence सहकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।**
- बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सी0एम0आर0 की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।
- *पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर लॉट वार प्रति लॉट 270 क्वीं0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति किया जायगा ।*
- *विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवरनेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रकिया–धान क्रय, भुगतान, CMR जमा आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम*

  *द्वारा **PFMS** योजना अंतर्गत जिला को भुगतान हेतु **PFMS** में नामित खातों से राशि आवंटित किया जायेगा।*

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब कर ली जाय।

(I) लक्ष्य का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व खरीफ विपणन मौसम की भॉति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को अंतिम सीमा नही मानी जाय एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित धान की अधिप्राप्ति की जाय।

बतौर नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम का पैक्स/व्यापारमंडल से सिर्फ सी0एम0आर0 प्राप्त करने का दायित्व होगा। पैक्स एवं व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय करने की व्यवस्था रहेगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा धान के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध क्रय धान के समतुल्य सी0एम0आर0 की आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में की जायेंगी। राज्य खाद्य निगम इस वर्ष अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों को सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई न हो। इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

खरीफ विपणन मौसम, 2019–20 अंतर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम एवं सांकेतिक है, किसानों के हित में इससे अधिक धान अधिप्राप्ति करने हेतु जिला स्वतंत्र है। यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को जिला अपने स्तर से प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करें, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।

पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला अंतर्गत धान उत्पादन की वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में

रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।

(II) क्रय केन्द्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत किसानों से धान क्रय हेतु मुख्य रूप से **पंचायत स्तर पर** पैक्स एवं **प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल** द्वारा एक–एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राईस मिल के परिसर में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों का निर्धारण नही किया जायेगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता (पैक्स/व्यापार मंडल) विभाग की है। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिला अंतर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :–

- ❖ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन।
- ❖ किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण।
- ❖ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप धान भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- ❖ माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- ❖ Blower/Drier की व्यवस्था।
- ❖ प्रति दिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिलें के वेबसाईट/पैक्स/व्यापरमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
- ❖ पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- ❖ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- ❖ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- ❖ केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- ❖ विहित प्रक्रिया के अनूरूप पंजियों का संधारण।
- ❖ किसानों को PFMS के माध्यम से अविलम्ब (48 घंटों के अन्दर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।

- **किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जाने वाले पैक्सों/व्यापार मंडलों के स्तर पर गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान के विरुद्ध अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर मिलरों को धान उपलब्ध कराया जाएगा।**
- **वैसे गोदाम जहाँ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है, उन गोदामों को चिन्हित कर संबंधित जिला पदाधिकारी आपदा मोड़ में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।**
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि जिलों में उपर्युक्त तैयारियों के साथ माह **15 नवम्बर 2019 से धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाय।**
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।**
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/MS-Excel, Kruti Dev 010** के माध्यम से प्रखण्ड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।
- अधिप्राप्ति अवधि (31.03.2020 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगें एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी क्रय केन्द्रों से ही अपलोड

करेंगें एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

- चुँकि अधिप्राप्ति का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है, जिसमें गोदामों में भण्डारित अवशेष भी दर्शित होगा। ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी नियमित रुप से क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगें। जिससे पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा सके।

  जिला पदाधिकारी अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31.03.2020 को भौतिक सत्यापन कराते हुए निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अधिप्राप्ति का अंतिम प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगें। ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की जबावदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम सी0एम0आर0 गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सी0एम0आर0 की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगें।
- *राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति धान की मात्रा के समतुल्य सिर्फ सी0एम0आर0 की प्राप्ति की जायगी।सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रो पर सी0एम0आर0 प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगा :–*
- *सी0एम0आर0 लॉट वार प्रति लॉट 270 क्वीं0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति किया जायगा।*
- *प्रत्येक सी0एम0आर0 प्रभारी द्वारा पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जायगा ।*
- *पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा जमा करने हेतु लाए गए सी0एम0आर0 का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रुप में संधारित किया जायगा ।*
- *प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले सी0एम0आर0 का अनिवार्य रुप से ऑनलाईन प्रविष्टी सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑनलाईन प्रविष्टी के सी0एम0आर0 की प्राप्ति नहीं की जायगी।*
- *सी0एम0आर0 के निर्गमन में "प्रथम आगत–प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा।*

(III) भंडारण की व्यवस्था

अधिप्राप्ति धान भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम एवं सभी सी0एम0आर0 गोदाम अधिसूचित होंगें। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का **Mapping** (अक्षांश/देशान्तर) भी सूची में अंकित रहेगा ताकि गोदाम के सही **Location** की पहचान आसानी से हो सके। *धान अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जायगा।*

- अधिप्राप्ति कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी गोदाम अधिसूचित किया जायेगा। सी0एम0आर0 गोदाम निगम द्वारा एवं पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा निर्धारित क्रय केन्द्र हेतु प्रयुक्त होने वाले गोदाम जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
- *सी0एम0आर0 हेतु उपयोग में लिये जाने वाले सभी गोदामों का अवशेष भंडार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही सी0एम0आर0 प्राप्त किया जायेगा।*

जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा।

- **पैक्स एवं व्यापार मंडल के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–**
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज मटेरियल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
  - ❖ घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
  - ❖ कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
  - ❖ पर्याप्त रोशनी (लाईटिंग) की व्यवस्था।
  - ❖ अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
  - ❖ सुरक्षा की व्यवस्था।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
  - ❖ प्रतिदिन Procurement Software पर ऑनलाईन/निर्धारित प्रपत्र में MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखण्ड/अनुमण्डल कार्यालय/जिला/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

(IV) <u>मिलिंग की व्यवस्था</u>

पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा जिला टास्कफोर्स से चयनित ऑनलाईन पंजीकृत मिल के साथ एकरारनामा कर अधिप्राप्ति धान की मिलिंग कराकर अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 लॉट वार (270 क्वीं0 प्रति लॉट) जमा कराया जायेगा। मिलिंग हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त सी0एम0आर0 के समतुल्य ही की जाय और यह प्रक्रिया चक्रानुक्रम में जारी रहेगा। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नहीं दी जायेगी। इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- **जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान का मिलिंग पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर मिलिंग का कार्य कराया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने के पश्चात पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जायेगी।**
- **वैसे पैक्स जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ मिलर का भी कार्य करते है, द्वारा संचालित राईस मिलरों को अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु प्राधिकृत किये जाने के पूर्व यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि टी0पी0डी0एस0 हेतु प्राप्त खाद्यान्न एवं धान की कुटाई से प्राप्त सी0एम0आर0 का भण्डारण पृथक गोदामों में संधारित किया जाएगा । साथ ही पैक्स द्वारा संधारित जन वितरण गोदामों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं**

सी0एम0आर0 गोदामों को जिल सहकारिता पदाधिकारी द्वारा कम से कम माह में एक बार उक्त गोदामों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप समर्पित किया जाएगा ।

- *एकरारनामित मिलर को उनके द्वारा जमा अग्रिम सी0एम0आर0 के विरूद्ध सम्बद्ध पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र से आनुपातिक रुप में धान प्राप्त कराया जायेगा एवं इस संदर्भ में ट्रक चालान (RT-Note) पैक्स/व्यापार मंडल जारी करेगा।*
- मिलरों से अधिप्राप्त धान के परिपेक्ष्य में सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले एकरारनामों में सहकारिता विभाग आवश्यक संशोधन करेगी ताकि ससमय सी0एम0आर0 जमा नहीं करने के लिए दोषी मिलरों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
- भारतीय खाद्य निगम एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमंडल एवं जिलास्तरीय गठित संयुक्त उड़नदस्ता दल द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भण्डारित अधिप्राप्ति धान/सी0एम0आर0 की गुणवत्ता, भण्डारण एवं प्रबंधन की जॉच समय–समय पर की जायेगी एवं उसकी प्रति सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय :–

- वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं परन्तु अवशेष सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि सभी प्रकार देयता सहित निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में अधिप्राप्त धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरान्त एकरारनामा के पात्र होगें।
- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनित वरीय उपसमाहर्ता/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात मिलो के चयन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंड यथा मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन विजली बिल का भुगतान एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण प्रमाण पत्र, विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन प्रमाण पत्र, **GST no., SSI registration no., EPF registration no., PAN no.**, मिलरों का अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरो के विरूद्ध कोई **Legal Obligation** न हो अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जॉच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं की जाय। संयुक्त जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं मैपिंग (अक्षांश/देशान्तर) भी उपलब्ध रहे। तत्पश्चात जिला टास्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत चयनित मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि संबंधित मिल के मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिप्राप्ति धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उपलब्ध करायी जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार **Short Listed** किये गये पंजीकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय। उक्त बैठक के उपरांत **Short Listed** मिल के मालिकों से ही पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा धान कुटाई हेतु एकरारनामा करने की कारवाई की जायगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों के साथ मिलरों की सम्बद्धता करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाय कि क्रय

केन्द्रों से मिलों की न्यूनतम दूरी एवं Location सही हो।

- सभी संबद्ध पैक्स/व्यापार मंडल संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग के पदाधिकारी/जिला के पदाधिकारी का मोबाईल संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय।
- प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाय।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति में प्राप्त धान को सम्बद्ध मिलरों को भेजी गयी धान की मात्रा से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहुँचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था वाहन क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स/व्यापार मंडल से सम्बद्ध मिलरों की दूरी के अनुरूप परिवहन क्षमता की व्यवस्था हो।
- पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प की व्यवस्था की जाय।
- कैम्प ऑफिस में संघारित होने वाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्युटर के MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/अनुमण्डल/जिला/सहकारिता विभाग/राज्य खाद्य निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कों भेजने की व्यवस्था की जाय।
- सभी एकरारनामित मिल अधिप्राप्ति सॉफटवेयर से सम्बद्ध रहेंगे।

(V) धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज–अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद– इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केन्द्र एवं पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा, साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसानों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑन–लाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।
- अगर किसी दूसरें की जमीन पर खेती कर रहें हों तो ऑन लाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होंगें :– **1.** अपना फोटो 2. पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) 3. बैंक पासबुक 4. धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकबा/क्षेत्रफल से संबंधित स्वःघोषणा प्रत्र (इस घोषणा पत्र पर अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।
- सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित कराना।
- खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी

की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जायेगी। साथ ही किसानों से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के स्तर से निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र निश्चित रूप से संलग्न रहे।

- पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा तैयार सी0एम0आर0 का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत Acceptance Order के आधार पर किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों का दबाव कम हो।

(VI) भुगतान की व्यवस्था

- *किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी धान या सी0एम0आर0 की अधिपाप्ति एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।*
- *किसान को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जायेगी, जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी। किसान को खाते में PFMS के माध्यम से राशि अन्तरण की सूचना SMS से भी प्राप्त होगी।*
- पैक्सों/व्यापार मंडल द्वारा यह सुनिश्चित की जायगी कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को उनसे क्रय किये गये धान का भुगतान अविलम्ब PFMS के माध्यम से तत्काल (48 घन्टे के अन्दर) कर दिया जाय। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :-
    - ❖ पैक्स एवं व्यापार मंडल के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर PFMS के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिदिन उपलब्ध होना।
    - ❖ पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान PFMS के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी किसान का भुगतान लंबित नहीं रखा जाय। भुगतान की सूचना SMS से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
    - ❖ पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा सी0एम0आर0 के विरूद्ध जिला प्रबंधक,बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडभाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलरों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम सी0एम0आर0 छोड़कर) धान/सी0एम0आर0 संबंधित आर0टी0 नोट, Acceptance Cum Analysis Report एवं वजन तालिका आदि के विधिवत् जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 3 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(VII) जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्थाः-

- खरीफ विपणन मौसम 2019-20 अन्तर्गत जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति करेंगे एवं स्वयं जिला अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे ।
- **प्रबंधन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो।**
- अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमण्डल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS-Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेंजेगे।
- प्रत्येक प्रखण्ड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
- प्रखंड स्तर पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर धान अधिप्राप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।

4. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न स्तरों(पदाधिकारियों/विभागों) की भूमिका।

(i) अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति धान की प्राप्ति एवं उसके समानुपातिक मात्रा में अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कर सी0एम0आर0 हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा जमा सी0एम0आर0 एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्राप्त सी0एम0आर0 से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से भेजना।**
- **बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।**
- राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 केन्द्रों पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर नहीं हो जहाँ वे गत वर्ष पदस्थापित थे एवं जन वितरण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नही लगाया जायेगा।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों, संयुक्त जाँच दल के पदाधिकारियों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।

(ii) अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका

- **क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।**

(iii) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पैक्सों/व्यापार मंडलों की भूमिका

- अनुमण्डल स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिसूचित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र एवं अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र की स्थापना एवं उसे माह 15, नवम्बर 2019 से क्रियाशील करना।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर प्राप्त करना।
- जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान का मिलिंग पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर मिलिंग का कार्य कराया जायेगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अग्रिम सी0एम0आर0 जमा करने के पश्चात पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा में धान की आपूर्ति की जायेगी।
- प्रतिदिन पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।
- पैक्सों का लेखा का संधारण एवं अधिप्राप्ति का वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

- किसानों के द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी पैक्सों/व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- **पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 जमा करने के पूर्व जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से विहित प्रपत्र में Acceptance Order प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत Acceptance Order के आधार पर ही पैक्स/व्यापार मंडल से सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगें।**
- *नोडल एजेंसी के रुप में निगम, पैक्स/व्यापारमंडल से अग्रिम CMR प्राप्त कर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत TPDS में उसके उपयोग का प्रबंधन करेगी।*
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को अधिक सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश निगम अपने वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।
- धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत् समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना। खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

(iv) अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका

- जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेगें।
- यदि पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से धान ससमय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।
- खरीफ विपणन मौसम 2019–20 अन्तर्गत सिर्फ अंकेक्षित पैक्स/व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।
- चूकि किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण का दायित्व सहकारिता विभाग को सौपा गया है। इसलिए पंजीकृत किसानों का डाटा राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिदिन उक्त डाटाबेस की सॉफ्ट कॉपी सहकारिता विभाग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। इस डाटाबेस के आधार पर ही बिहार राज्य खाद्य निगम पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये सी0एम0आर0 के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।
- सभी पैक्स/व्यापार मंडल धान की अधिप्राप्ति के पश्चात् चेकलिस्ट के अनुसार किसानों से वांछित कागजात प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला स्तरीय कार्यालय में जमा करेंगे, ताकि बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा निर्गत Acceptance Order में Tagged सी0एम0आर0 गोदामों की विवरणी के अनुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 गोदामों में सी0एम0आर0 जमा की जाएगी। क्रय केन्द्र से सभी वांछित कागजातों के साथ विपत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।
- ***किसानों का सभी डाटाबेस Unicode में अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, ताकि किसानों को असुविधा नही हो।***
- पैक्स एवं व्यापार मंडल वायदा आधारित धान का क्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगें। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगी कि पैक्सों/व्यापार मंडल को नकद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) आवश्यकतानुसार अविलम्ब उपलब्ध करायें।
- सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से किसानों से नित्य दिन क्रय किये गये धान के आँकड़ों से भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम/सहकारिता विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/मुख्य सचिव, बिहार को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
- मिल के पास अवशेष धान की मात्रा से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन भी राज्य खाद्य निगम/भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, जिसकी जाँच भारतीय खाद्य

निगम तथा राज्य सरकार के नामित पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार की जायेगी।

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना।
- गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्स/व्यापार मंडलों जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाये, को खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधि सम्मत कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।
- खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिलावार लक्ष्यांकित कुल धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) कराके निगम के अधिसूचित सी0एम0आर0 केन्द्र पर क्रय धान के समतुल्य सिर्फ सी0एम0आर0 उपलब्ध करायेंगें।
- पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात किसानों को PFMS के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्सों/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- पैक्स/व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में किया जायेगा। भौतिक सत्यापन प्रपत्र पर दो स्थानीय निर्वाचित जन प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी अपेक्षित होगा। साथ ही सत्यापन का फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी आवश्यक होगा।
- धान अधिप्राप्ति कार्य, मिलिंग कार्य एवं सी0एम0आर0 हस्तगत कराने सम्बन्धित दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना। साथ ही मोबाईल एप्स के माध्यम से Online Access किया जाएगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि किसानों को तत्काल PFMS से ऑनलाईन भुगतान हो सके। वायदा आधारित धान अधिप्राप्ति पर पूर्णतः रोक लगाना।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स अध्यक्षों/व्यापार मंडल के प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय।
- **धान अधिप्राप्ति अवधि 31.03.2020 समाप्त होने के दो दिनों के अन्दर पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा धान अधिप्राप्ति संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सौंप दिया जायेगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक अधिकतम 10 दिनों के अन्दर संयुक्त हस्ताक्षरित अंतिम समेकित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें। ध्यान रहे कि अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् उसमें पुनः किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अन्ततोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित अधिप्राप्ति संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबन्ध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।**

(v) अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

(vi) जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

(vii) प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह अपने संबद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा के अतिरिक्त प्रमंडल स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा सम्पन्न निरीक्षण की प्रत्येक माह समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

5. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ

- प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ जिला स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आपेक्षित कार्रवाई गुरूत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगें।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे।

6. स्थानान्तरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध

- सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही बिरमित होंगें।
- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित ।

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

अपर मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना ।

खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावर लक्ष्य (मात्रा– मे0 टन में)

क0सं0	जिला का नाम	अनुमानित जिलावार लक्ष्य	पैक्स व्यापार मंडल का लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बांका	80000	80000	
2	भागलपुर	40000	40000	
3	दरभंगा	30000	30000	
4	मधुबनी	60000	60000	
5	समस्तीपुर	80000	80000	
6	मधेपुरा	40000	40000	
7	सहरसा	60000	60000	
8	सुपौल	100000	100000	
9	अरवल	80000	80000	
10	औरंगाबाद	200000	200000	
11	गया	150000	150000	
12	जहानाबाद	50000	50000	
13	नवादा	130000	130000	
14	बेगूसराय	30000	30000	
15	जमुई	50000	50000	
16	खगड़िया	30000	30000	
17	लखीसराय	70000	70000	
18	मुंगेर	40000	40000	
19	शेखपुरा	40000	40000	
20	भोजपुर	120000	120000	
21	बक्सर	100000	100000	
22	कैमूर	240000	240000	
23	नांलदा	190000	190000	
24	पटना	180000	180000	
25	रोहतास	220000	220000	
26	अररिया	60000	60000	
27	कटिहार	30000	30000	
28	किशनगंज	30000	30000	
29	पूर्णिया	60000	60000	
30	गोपालगंज	40000	40000	
31	सारण	60000	60000	
32	सीवान	40000	40000	
33	बेतिया	50000	50000	
34	मोतिहारी	80000	80000	
35	मुजफ्फरपुर	50000	50000	
36	शिवहर	30000	30000	
37	सीतामढ़ी	40000	40000	
38	वैशाली	20000	20000	
कुल		3000000	3000000	